रजि0 नं0- 596/2002-2003
पुर्नवैधीकरण सं०-0193/2022-2023

About the
कृषि पर्यावरण वानिकी संस्थान
Institute of Agriculture Environment Forestry (IAEF)

म0नं0– 8–B/37, बृन्दावन योजना, रायबरेली रोड़,
लखनऊ–226029 (उ0प्र0)
मो0नं0: 9415067544, 7007761627
ई–मेल: rkdoharey@iaef.org.in
Website-www.iaef.org.in
पैन नं0 : AACAI2632K

स्मृतिपत्र

संस्था का नाम **—कृषि पर्यावरण वानिकी संस्थान**

संस्था का पूरा पता **—म0नं0— 8—B/37, बृन्दावन योजना, रायबरेलीरोड़,**
लखनऊ—226029 (उ0प्र0)

संस्था का कार्यक्षेत्र **—सम्पूर्ण उ0प्र0।**

संस्था का उददेश्य—(1)संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त कृषकों की कृषि से सबन्धित समस्याओं का निराकरण संस्था एवं संस्था के कृषि वैज्ञानिको द्वारा किया जाना।

(2)संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी सरकारी व सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कृषकों की सहायता करना।

(3)संस्थान के कार्य़क्षेत्र में रहने वाले सभी को जो स्वयं अपना रोजगार संचालित करना चाहते है। उनको उचित सलाह एवं जानकारी देना साथ ही रोजगार के उद्योग—धन्धे लगवाना।

(4)संस्थान के अन्तर्गत कृषकों को तकनीकी जानकारी देना तथा उनकों वैज्ञानिक विधि से तकनीकी जानकारी देकर कृषि के लिए प्रोत्साहित करना।

(5)संस्थान के अर्न्तगत आने वाले कार्य़क्षेत्र में कृषि की नवीनतम पद्धति को अपनाकर कृषकों को कार्य कराना तथा उनकी समस्याओं का समय—समय पर विस्तृत रूप से संस्थान के माध्यम से निदान करना।

(6)संस्थान के माध्यम से कृषकों को कृषि फसलों के साथ—साथ नकदी फसलों, औषधि वाली फसलों तथा बिष रहित फसलों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देना साथ ही फल, फूल, सब्जी, हाइड्रोफोनिक्स (जलीय खेती), एरोफोनिक्स, नर्सरी, मसालों की खेती तथा इन फसलों के बीज उपलब्ध कराकर बिक्रय हेतु बाजार भी उपलब्ध कराना। कृषि वानिकी, सहजन, जैट्रोफा, बेर, ऑवला, सागौन, बांस, ड्रैगनफ्रूट, बेल, पापुलर, धान्य फसलें, वेबीकार्न आदि अन्य फसलों के बारे में जागरूक कर उत्पादन करना।

(7)संस्थान के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों के लिए खाद एवं उर्वरक उपलब्ध कराना तथा समय–समय पर कीटनाशक दवाइयाँ तथा खाद सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध कराना। वर्मीकम्पोस्ट, अजोला, ट्राइकोडर्मा, हरी खाद, जैव उर्वरक, वायोफर्टीलाइजर, नैनो यूरिया इत्यादि खाद बनाने एवं प्रयोग करने का प्रशिक्षण देना व उत्पादन इकाई तथाI nput Support Services स्थापित कराना तथा व्यवसायिक रूप से बेचना।

(8)फसलों के साथ साथ पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय की नवीनतम तकनीक की जानकारी देना।

(9)कृषको को मशरूम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे कृषक अधिक से अधिक लाभ कमा सके।

(10)संस्थान के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों का किसानों की भूमि पर खाद्यान्न/बीज का उत्पादन करवाना एवं बीज/उपज को उत्पादित कराकर उपलब्ध कराना।

(11)संस्थान के द्वारा फल, फूल एवं लकड़ी वाले पौधों की नर्सरी डलवाकर बेंचना। बाग स्थापित करना व पुष्प वाले पौधों तथा फूलों का व्यवसायिक उत्पादन कराकर बेचना।

(12)ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों/महिलाओं व युवाओं के लिए लधु व कुटीर उद्योग लगवाना, जैसे मोमबत्ती बनवाना, अगरबत्ती बनवाना, चाक बनवाना, आचार, मुरब्बा, चटनी, आटा, दलिया, रवा, मैदा, सूजी, बेसन, दाल, चावल, तेल, गुड़ व खाण्डसारी, डेयरी व्यवसाय, रेशम उत्पादन, ग्रीन हाऊस बनवाना व खेती करना, खाद्य प्रसंस्करण, मानव हेतु राशन, कुक्कुट राशन, सूकर राशन, फिशफीड, मधु उत्पाद प्रसंस्करण शहद एवं मधुमक्खी पालन, र्पल फार्मिगं, पशुओं का राशन आदि का उत्पादन करना तथा बेचना, मुर्गी पालन (लेयर/ब्रायलर/चिक्स), बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि केन्द्रों को व्यापारिक स्तर पर स्थापित करवाना तथा बेचना।

(13)कृषकों के परामर्श के लिए कृषि निस्तारण/सलाहकार केन्द्र खोलने की व्यवस्था करना तथा कस्टम हायरिंग सर्विस उपलब्ध कराना।

(14)पशुधन स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था तथा पशु चिकित्सा केन्द्र व सेवाओं की स्थापना जिसमें फ्रोजन सीमेन बैंक व लिक्विड नाइट्रोजन उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है।

(15)कृषि सम्बन्धी विभिन्न जानकारियों के लिए सूचना टेक्नोलॉजी कक्षों की स्थापना/उपलब्धता कराना।

(16)कृषि सामग्री व उत्पाद के लिए ग्रामीण विपणन की नियमानुसार व्यवस्था कराना।

(17)मृदा, जल तथा खाद, बीज इत्यादि की गुणवता परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित करना एवं कृषकों को सर्विस उपलब्ध कराना आदि।

(18)संस्थान द्वारा कृषकों के लिए नल बोरिंग व मेडबन्दी की व्यवस्था करना, चैकडैम बनवाना, नलकूप स्थापित कराना इत्यादि।

(19)संस्थान के द्वारा ऊसर भूमि सुधार/बन्जर भूमिको सुधारने की तकनीकी जानकारी देना।

(20)संस्थान के द्वारा एग्रो सर्विस सेन्टर स्थापित करवाना।

(21) पेपर, जर्नल्स, किताब, मैनुअल, फोल्डर, लीफलेट, पोस्टर, चार्ट, आर्टकिल, लेख आदि को छापना एवं प्रकाशित करना।

(22) रेडियों, टी0बी0, न्यूज पेपर आदि के माध्यम से नवीनतम कृषि तकनीक, योजनाएं, स्कीम इत्यादि का सूचना प्रौद्यौगिकी के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

Publication:

1- Indian Journal of Agriculture Research & Environment (IJARE) को प्रकाशित करना।

2-Journal of Extension Education & Applied Sciences (JEEAS) को प्रकाशित करना अथवा किसी अन्य रिसर्च जनरल को प्रकाशित करना।

3- हिन्दी पत्रिकाओं का पब्लिकेशन करना।

Magazine:

- Magazine for Agriculture (Quarterly)
- Scientific Agriculture (Quarterly)
- Scientific Magazine or publication of any other magazine
- प्रशिक्षण, शिक्षण, कान्फ्रेंस, सेमिनार, सिम्पोजिया, टाक, गोष्ठी, किसान मेला, फील्ड डे, ट्रायल, लेक्चर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित करना।
- अन्र्राराष्ट्रीय संस्थाओं, केन्द्र एवं राज्य सरकार की संस्थाओं जैसे नीति आयोग, नाबार्ड, बैंक, कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, सामान्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम्य विकास, शिक्षण संस्थान, आर0सी0ए0आर0 संस्थान, उपकार, उ0प्र0 सरकार के विभाग, CIRD, पंचायती राज, राज्य/केन्द्रसरकार के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नार्म, मैनेज आदि संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना तथा परियोजनाएं संचालित करना।
- संस्था द्वारा विभिन्न संस्थाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- संस्था द्वारा लाइब्रेरी स्थापित करना।
- संस्था द्वारा छात्रों/किसानों/वैज्ञानिकों, शिक्षकों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से फेलोशिप, स्कालरशिप, प्राइम, स्टाइपेंड, अवार्ड आदि प्रदान करना।
- कृषि के साथ–साथ मनुष्यों/पशुओं के स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रशिक्षण/सेवाभाव प्रोग्राम करना, जागरूकता प्रोग्राम संचालित करना आदि साथ ही दवाएं/बैक्सीन का वितरण करना।
- स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, होटल, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, बिल्डिग, फार्महाऊस, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग करना तथा केन्द्रों आदि की स्थापना करना, सलाह देना व संचालन करना आदि।
- संस्था द्वारा छात्र, छात्राओं को जागरूक करना तथा उनको रोजगारपरक शिक्षा/व्यवसाय की जानकारी देना तथा स्थापित करना।
- बच्चों में खेल, नृत्य, म्यूजिक, ड्राइंग, पेन्टिंग, फाइन आर्ट आदि को जागरूक करना, साथ ही राष्ट्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रीय विख्यात वैज्ञानिक व समाज सुधारक आदि का जन्म दिवस मनाना आदि।
- रोजगारपरक शिक्षण/प्रशिक्षणदेना।

- गरीब/असहाय, दिमागी अस्वस्थ, विकलांगजनों के हित में कार्य करना।
- संस्थान के फण्ड को नियमानुसार इन्वेस्ट/जमा/निकासी करना।
- संस्थान हेतु जमीन एवं अन्य क्रय, लीज, एलाटमेन्ट, हायर की चल–अचल सम्पत्ति बनाना व रख–रखाव करना तथा जरूरत पड़ने पर उसको नियमानुसार किराये या लीज पर लेना/देना।
- रिजर्व फण्ड/इन्शोरेन्स, पेंशन एवं अन्य स्पेशल फण्ड सृजित करना व संस्था के उपयोग में लाना।
- संस्था में प्रशासनिक, तकनीकी, क्लर्क, मिनिस्ट्रियल एंव सहायक पदों को सृजित करना व सोसायटी या सरकार के अनुसार वेतन–भत्ते, मानदेय देना व संस्था के नियम कानून लागू करना।
- साफ्ट/हार्ड इन्टरवेंशन व क्लस्टर बनाना।
- FPO स्थापित करना।
- थ्कसानों को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि यंत्रों, मशीनरी, खाद, बीज, उर्वरक, जैव रसायनों का रसायनिक खाद, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, कल्चर सब्सिडी उपलब्ध कराना।
- खादी, हैण्ड स्पून, हैण्ड बूबन काटन, बूलन, मसलिन, सिल्क, कापर बोर्ड, इण्डस्ट्री पेपर, एशोवेस्ड गुड्स, टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट, स्फूर्ति, नीति आयोग व अन्य योजनाओं के साथ समन्वय कर स्थापित करना।
- सामान्य जागरूकता।
- काडस्लिग।
- प्रेरित करना।
- स्किल्स डेबलपमेंट।
- इन्स्टीट्यूट डेवलेपमेंट।
- एक्सपोज रविजिट।
- मार्केट प्रोफेशन।
- डिजाइन।

कृषि विविधीकरण (Diversified Agriculture)

1. कृषि, सब्जी, एग्रोफारेस्ट्री, हार्टीकल्चर, फल, फूल, फलों, दलहनी, मिलेटस आदि फसलों का उत्पादन करना।।

2. पशुपालन के साथ–साथ परम्परागत आदि फसलों का उत्पादन करना।

3. मुर्गीपालन–अण्डा लेयर/ब्रायलर/चिक्स आदि का उत्पादन करना।

4. सूकरपालन– 1.लार्ज व्हाइट फार्मशायर, 2. मिडिल व्हाइल्ट फार्मशायर आदि को पालन कराना व बेचना।

5. मधुमक्खी पालन, बत्तख पालन, बटेर पालन आदि का उत्पादन करना।

6. रेशम की खेती।

7. मछली पालन।

8. बकरी पालन–बड़े आकार–जमुनापारी, बीटल, छोटे आकार–बरबरी।

9. जलीय (हाइड्रोफोनिक्स खेती)

10.मशरूम(बटन, ढिंगरी, आयस्टर) की खेती।

11.औषधीय एवं संगंध पौधों की खेती ।

12.मसालों की खेती।

13.जैविक खेती।

14.वर्मी कम्पोस्ट।

15.एजोला।

16.लघु उद्योग–दालमोट, चावल मिल, गुड़ खाण्डसारी, आटा मिल, दाल मिल, धान मिल आदि।

17.खाद्य प्रशंसकरण।

18.हरी खाद/गोबर की खाद।

19.मशीनरीकरण।

20.कस्टम हायरिंग सर्विस।

21.कृषि वानिकी।